न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/288/2025

उनवान

1. गोपाल पुत्र चुन्ना दरोगा, निवासी–भीलडी, तहसील–माण्डल,, जिला भीलवाडा
2. जगदीश पुत्र चुन्ना दरोगा, निवासी–भीलडी, तहसील–माण्डल,, जिला भीलवाडा
3. मु0 धापू पत्नी चुन्ना दरोगा, निवासी–भीलडी, तहसील–माण्डल,, जिला भीलवाडा
4. रणजीत पुत्र चुन्ना दरोगा, निवासी–भीलडी, तहसील–माण्डल,, जिला भीलवाडा
5. राजू पुत्र चुन्ना दरोगा, निवासी–भीलडी, तहसील–माण्डल,, जिला भीलवाडा

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल, जिला भीलवाडा

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
के प्रकरण संख्या 146/2024 निर्णय एवं
डिक्री दिनांक 27.05.2025

अभिभाषक :

1. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 16.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी /वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम समरथपुरा, पटवार हल्का अमरगढ, तहसील–माण्डल, जिला भीलवाडा में खाता संख्या 52 में आराजी संख्या 471/452 रकबा 0.6956 है0 अंकित है , वादी द्वारा आगे यह कथन किया गया कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उपरोक्त आराजियात का मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त खातेदारानों द्वारा अपनी उक्त आराजियात में वेस्ट मेटेरियल डाला जा रहा है, उक्त भूमि कृषि से अकृषि अर्थात भण्डारण के संबंध में पटवार हल्का सुरास द्वारा मौका पर्चा व फोटोग्राफ भी बनाकर प्रस्तुत किये गये जिससे खातेदारान द्वारा अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर अकृषि उपयोग करना स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है।

2. उक्त भूमि पर भण्डारण संबंधि खातेदार के पास कोई सक्षम स्वीकृति नहीं है, पटवार हल्का द्वारा बार बार पाबंद करने पर भी उपरोक्त कृत्य नहीं रोका जा रहा है , अन्त में वादी द्वारा यह भी प्रार्थना की गई कि ग्राम समरथपुरा, पटवार हल्का अमरगढ, तहसील–माण्डल, जिला भीलवाडा में खाता संख्या 20 में आराजी संख्या 471/452 रकबा 0.6956 है0 कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि उपयोग किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी की शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा है अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात को बिलाकनाम सरकार दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण वादग्रस्त ग्राम समरथपुरा, पटवार हल्का अमरगढ, तहसील–माण्डल, जिला भीलवाडा में खाता संख्या 52 में आराजी संख्या 471/452 रकबा 0.6956 है0 कृषि भूमि में से प्रतिवादी का नाम विलोपित करते हुए उक्त आराजी को भूमिधारी राजस्थान सरकार के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील प्रस्तुत कर दी गई है। जो विधिक तौर 26.7.2025 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिये थी लेकिन अपीलार्थीगण अनपढ काश्तकार ग्रामीण व्यक्ति है जिन्हें विधि का सम्यक ज्ञान नहीं है।

6. अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि पत्रावली आदेश में नियत है जब भी आदेश होगा सूचना कर देंगे। इस परअपीलार्थीगण अपने अधिवक्ता की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
... अधिकारी, ...

सूचना का इन्तजार करते रहे लेकिन अधिवक्ता द्वारा सूचना की प्रमाणित प्रति उनके अधिवक्ता को प्राप्त होने के बाद अधिवक्तजा द्वारा सूचना दी गई जो अपीलार्थीगण को कल दिनांक 7.8.2025 को प्राप्त हुई। तथा आज भीलवाडा आकर अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवा कर अविलम्ब ही प्रस्तुत की जहा रही है। अपील प्रस्तुत करने में 13 दिवस की देरीना समय को न्यायहित में क्षमित किया जाना अति आवश्ययक है। अन्यथा अपीलार्थीगण न्याय से महरूम हो जायेगें।

7. अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं की है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा पेशी दिनांक 25–04–2025 को वादी के वाद पत्र. का जबावदावा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी 02–05–2025 दे दी गयी। इसी रोज विद्वान अधिनस्थ न्यायशलय द्वारा प्रकरण को बहस में नियत फरमा दिया गया। जबकि बहस हेतू नियत फरमा दिया गया। जो विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के प्रक्रिया विधि की अवहेलना कारित कर निर्णय पारित फरमाया गया जो अवैध होने से अपास्त होने योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पेशी दिनांक 02–05–2025 को पीठासीन अधिकारी जी के राजकीय कार्य से बाहर होने से अदालत नही लगने से आगामी पेशी दिनांक 15–05–2025 दी गयी । किन्तू पेशी दिनांक 15–05–2025 को भी पीठासीन अधिकारी जी के अदालत में नही बिराजने से आगामी पेशी 22–05–2025 दी गयी।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पेशी दिनांक 22–05–2025 को अधिवक्ता प्रतिवादी अपीलार्थीगण द्वारा इस बाबत् निवेदन किया कि प्रकरण में तनकीयात कायम की जा कर प्रकरण साक्ष्य वादी हेतू नियत फरमाया जावे। किन्तू विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के ऐसे निवेदन को दरकिनार कर प्रकरण में वादी की ओर से बहस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

समायत फरमा ली गयी। जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी अपीलार्थीगण यह भी निवेदन किया उसके मौखिक निवेदन को आर्डर शीट पर लिखा जा कर चाहें आप अस्वीकार फरमाये जाने का आदेश फरमा देवें। लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के मौखिक निवेदन को रेकार्ड पर लिये बिना ही बहस समायत फरमा ली गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने इस कारण लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया क्योकि किसी भी वाद के प्रस्तुत होने पर तथा तामील के बाद जबावदावा पत्रावली पर प्रस्तुत होने के बाद तनकियात हेतू पत्रावली नियत की जाती हैं प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को प्रक्रिया विधि का सामान्य ज्ञान प्रायः होता ही है। लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया विधि की पालना नही कर अलावा इसके अधिवक्ता प्रतिपक्ष द्वारा निवेदन किये जाने के बावजूद भी अवैध विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनायी जा कर प्रकरण में बहस समायत फरमा ली गयी। और प्रतिवादी अपीलार्थीगण की तरफ से भी बहस समायत किया जाने का उल्लेख कर दिया गया। तथा प्रकरण को आदेश हेतू पेशी 27–05–2025 नियत कर दी गयी।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण हाजा में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–05–2025 को निर्णय सुना दिया गया। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मुख्य रूप से पटवार हल्का अमरगढ़ द्वारा तैयारशुदा मौका रिपोर्ट दिनांक 20–01–2024 को आधार माना गया हैं जबकि उक्त मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी आई.एल. आर. द्वारा तैयार नही की गयी हैं और यदि कोई मौका रिपोर्ट तैयार कर दी भी गयी तो उसको न्यायालय में उपस्थित हो कर अपने मौखिक साक्ष्य से साबित करवाया जाना कानूनन लाजमी है। और कोई भी दस्तावेज जिस व्यक्ति का कलमी हैं उसे साक्ष्य अधिनियम के तहत धारा 61 लगायत 73 तक में वर्णित प्रावधानों के तहत ही किसी दस्तावेज को अदालत में साबित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हैं और जिसे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने वाद का आधार मान कर निर्णय पारित किया गया वह दस्तावेज साक्ष्य विधि के तहत अदालत में साबित ही नहीं हुआ हैं। इससे भी आगे जहाँ प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण का यह स्पष्ट तौर जबावदावा में वर्णित किया गया हैं कि मौका रिपोर्ट पटवारी की गलत हो कर मौका के विपरीत्त हैं तब तो यह अतिआवश्यक हो जाता है कि उक्त मौका रिपोर्ट को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
उप खण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

साक्ष्यिक विधि के तहत साबित करवाया जाना अतिआवश्यक हो जाता है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने गलत मिथ्या एंव झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित फरमाया गया हैं जो अपास्त होने योग्य है। पटवार हल्का ने बिना प्रतिवादी अपीलार्थीगण की उपस्थिती के और बिना किसी मौतबीर व्यक्ति के समक्ष मौका रिपोट तैयार नहीं की गयी है। जो रिपोर्ट तैयार की है वह अदालत में साबित करने हेतू पटवार हल्का उपस्थित ही नही हुआ है। ऐसी विषम परिस्थितियों क्या उत्पन्न हो गयी जो विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का की रिपोर्ट पर अत्यधिक महत्व दें कर निर्णय पारित करनें हेतू मजबूर होना पड़ा। पीठासीन अधिकारी ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय की गरीमा का ध्यान नही रख केवल अपने अधिनस्थ नियुक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ध्रुव सत्य मानने में भारी गंभीर त्रुटि कारित की है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की ओर से कोई शहादत प्रस्तुत नही हुई फिर भी प्रतिवादी को तो उसकी शहादत प्रस्तुत करने का अवसर पत्रावली पर दिया जाना कानूनन आवश्यक था किन्तू विद्वान अधिनस्थ न्यायालय बिना किसी विधिक प्रक्रिया पालना किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल कारित की है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलार्थीगण को सुनवायी एंव साक्ष्य का कोई अवसर ही नहीं दिया गया है। तथा पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट भी विधिक तौर गलत होते हुवे भी साक्ष्य में ग्राहय मानने में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने तो पटवार हल्का की रिपोर्ट को पढ़ने तक का परिश्रम भी नही किया है। पटवार हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20–01–2025 में स्पष्ट तौर वर्णित किया गया हैं कि खाता सं० 20 आराजी सं० 471/452 रकबा 0.6956 हैं0 मे से मात्र लगभग 0.0500 हैं० पर ही चुनाई पत्थर निकाले जाते है। तथा शेष भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। इससे स्पष्ट है कि आराजी सं० 471/452 का सम्पूर्ण रकबा गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रसत आराजी के सम्पूर्ण रकबा को खातेदार प्रतिवादी अपीलार्थीगण का नाम विलोपित कर राज्य सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान फरमा दिया गया जो सोकाल्ड मौका रिपोर्ट के भी विपरीत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है। इस प्रकार विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने न तो विधिक प्रक्रिया की पालना की है और न ही बेसिक विधिक प्रावधानों की ही पालना की हैं।

अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्याालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय केपरीकुअस, आरबीदेरी एण्ड सॉउण्ड ज्युडिसियल प्रीसीपल्स के विपरीत होने तथा प्राकृतिक न्यायशास्त्र के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अविलम्ब अपास्त होने योग्य है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबावदावा में प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने स्पष्ट तौर वादी के वाद पत्र का सशक्त जबावदावरा के माध्यम से खण्डन किया गया फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने फोरी तौर पर बिना किसी साक्ष्य के दावा वादी स्वीकार करने में भारी विधिक भूल कारित की है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय इन्ही सभी कारणों से अपास्त होने योग्य है।

15. अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थीगण सव्यय स्वीकार फरमायी जा कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–05–2025 को अपास्त फरमाया जावे। तथा विकल्प में यह भी निवेदन हैं कि प्रकरण हाजा में प्रक्रिया विधी के प्रावधानों की पालना कर अपीलार्थीगण को सुनवायी एंव साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जा कर अजसरेनों निर्णय पारित कराने के निर्देश सहित प्रकरण को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

16. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। अपीलार्थीगण नेअपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को धारा 5 मियाद अधिनिरयम के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अपील को निरस्त की जावे।

17. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तहसीलदार, द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विश्लेषण कर विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिसम्मत है अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

18. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील प्रस्तुत कर दी गई है। जो विधिक तौर 26.7.2025 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिये थी लेकिन अपीलार्थीगण अनपढ काश्तकार ग्रामीण व्यक्ति है जिन्हें विधि का सम्यक ज्ञान नहीं है।

19. अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि पत्रावली आदेश में नियत है जब भी आदेश होगा सूचना कर देंगे। इस परअपीलार्थीगण अपने अधिवक्ता की सूचना का इन्तजार करते रहे लेकिन अधिवक्ता द्वारा सूचना की प्रमाणित प्रति उनके अधिवक्ता को प्राप्त होने के बाद अधिवक्तजा द्वारा सूचना दी गई जो अपीलार्थीगण को कल दिनांक 7.8.2025 को प्राप्त हुई। तथा आज भीलवाडा आकर अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवा कर अविलम्ब ही प्रस्तुत की जहा रही है। अपील प्रस्तुत करने में 13 दिवस की देरीना समय को न्यायहित में क्षमित किया जाना अति आवश्ययक है। अन्यथा अपीलार्थीगण न्याय से महरूम हो जायेगें।

20. अपीलार्थीगण ने जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं की है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

21. प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

22. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया। बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन अध्ययन व मिलान किया गया । रेकार्ड अनुसार प्रकरण में पक्षकारान की विधिवत तामील नहीं हुई है। एक ही व्यक्ति को तामील दी हुई है। तामीलों पर स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है कि परिवार शामलाती रहता है या नही। प्रकरण में चूना पत्थर भूमि से निकालना 0.0500 है0 भूमि में बताया गया है। जबकि खातेदारी का कुल रकबा .6956 है0 है। जबकि आदेश में सम्पूर्ण भूमि को सरकारी घोषित कर दिया है। मौका रिपोर्ट केवल पटवारी की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भूमिधारी तहसीलदार की कोई रिपोर्ट नहीं है। रेकार्ड अनुसार किसी पकार का साक्ष्य नहीं लिया गयाा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है। वादी द्वारा साक्ष्य का अंकन नहीं करवाया गया है वसम्पूर्ण खाते को क्यों सरकारी घोषित किया गया है उसका भी अंकन नहीं है। आदेश स्पीकिंग श्रेणी का नहीं है। ऐसे निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

आदेश

23 अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.5.2025 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को विधिवत तामील करवाकर ,सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे, जवाब का अवसर प्रदानकिया जावे , तनकियात कायम की जाकर दोनों पक्षकारोंको साक्ष्य का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन के साथ विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23/4/2026 को उपस्थित रहे।

24. आदेश आज दिनांक 16.2.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व
अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा